सामुदायिक अधिकार और वन संरक्षण

यह एडिटोरियल 13/11/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Community rights and forest conservation" लेख पर आधारित है। इसमें वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में चर्चा की गई है, जहाँ इसके लक्ष्यों, संबद्ध चुनौतियों और वनों के मूल निवासियों पर इसके परिणामों के संबंध में विशेष रूप से विचार किया गया है।

प्रिलिम्स के लिये:

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), वन अधिनियम 1927, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC), नियंत्रण रेखा (LOC), प्रतिपूरक वनीकरण, EIA

मेन्स के लिये:

वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम के लाभ, संशोधन से संबंधित प्रमुख मुद्दे, अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिये आगे की राह।

हाल ही में पारित वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 भारत में वन संरक्षण को नियंत्रित करने वाले एक प्रमुख पर्यावरण कानून 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' में महत्त्वपूर्ण विधायी परिवर्तन लेकर आया है। हालाँकि, इस पर सीमित ध्यान दिया गया है और वनों एवं उनके निवासियों पर इसके प्रभाव के बारे में बहुत कम चर्चा हुई है।

संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- **प्रस्तावना का प्रवेश:**
  - संशोधन अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम में एक उद्देशिका या **प्रस्तावना** (Preamble) को शामिल करता है।
  - यह प्रस्तावना वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने, वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों को पूरा करने और भारत के वन एवं वृक्ष आवरण को इसकी भूमि क्षेत्र के एक तिहाई भाग तक विस्तारित करने की देश की प्रतिबद्धता को आधिकारिक तौर पर स्वीकार या चिह्नित करती है।
- **अधिनियम के दायरे में आने वाली भूमि:**
  - संशोधन के अनुसार, वन कानून अब विशेष रूप से वन अधिनियम 1927 के तहत वर्गीकृत क्षेत्रों पर और उन क्षेत्रों पर लागू होगा जिन्हें 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद इस रूप में नामित किया गया था। यह अधिनियम उन वनों पर लागू नहीं होगा जिन्हें 12 दिसंबर 1996 को या उसके बाद गैर-वन उपयोग के लिये रूपांतरित किया गया था।
  - इन संशोधनों का उद्देश्य दर्ज वन भूमि, निजी वन भूमि, वृक्षारोपण आदि पर अधिनियम के अनुप्रयोग को सुव्यवस्थित करना है।
- **भूमि की छूट प्राप्त श्रेणियाँ:**
  - विधेयक में वनों के बाहर वनीकरण और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ छूट का प्रस्ताव किया गया है।
  - उदाहरण के लिये, सड़कों और रेलवे के किनारे स्थित बस्तियों एवं प्रतिष्ठानों के लिये कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु 0.10 हेक्टेयर वन भूमि, सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना के लिये 10 हेक्टेयर तक भूमि और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिये 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है।
  - इन छूटों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC), नियंत्रण रेखा (LoC) आदि के 100 किमी के भीतर क्रियान्वित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **वन भूमि का पट्टा:**
  - अधिनियम के तहत, राज्य सरकार को सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण से रहित किसी भी इकाई को वन भूमि आवंटित करने के लिये केंद्र सरकार की पूर्व-मंज़ूरी की आवश्यकता है।
  - अधिनियम के तहत, यह शर्त सभी इकाइयों पर लागू होती है, जिनमें सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली इकाइयाँ भी शामिल हैं। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि पूर्व अनुमोदन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन हो।
- **वन भूमि में अनुमत गतिविधियाँ:**
  - यह अधिनियम वनों को अनारक्षित (de-reservation) करने या गैर-वन उद्देश्यों के लिये वन भूमि का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता

है। ऐसे प्रतबिंध केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से हटाए जा सकते हैं।
    - अधिनियम कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें गैर-वन उद्देश्यों से बाहर रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि ऐसे गैर-वन उद्देश्यों के लिये वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
    - इन गतिविधियों में वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास से संबंधित कार्य शामिल हैं, जैसे चेक पोस्ट, फायर लाइन या बाड़ का निर्माण और वायरलेस संचार स्थापित करना।
- **केंद्र सरकार की प्रत्यायोजित विधान की शक्ति का विस्तार:**
    - संशोधन से पहले, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित विधान का निर्माण कर सकने की शक्ति केवल नियम बनाने तक ही सीमित थी।
    - अधिनियम के प्रावधानों के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित विधान का निर्माण कर सकने की शक्ति का विस्तार किया गया है और अब इसे किसी भी केंद्रीय सरकारी प्राधिकरण, राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संगठन, इकाई या निकाय को 'निर्देश' (directions) जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

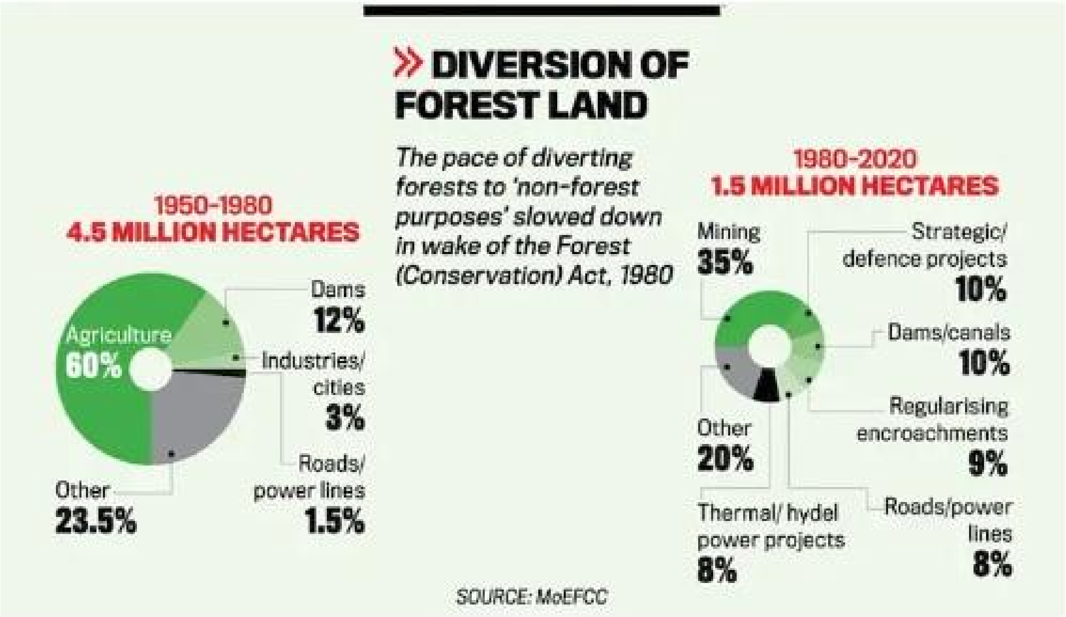

वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- **'वन' (Forest) की परिभाषा पर स्पष्टता:**
    - संशोधन वन की परिभाषा को स्पष्ट करता है जो 'डीम्ड फॉरेस्ट' और विविध व्याख्याओं के संबंध में मौजूद अस्पष्टता को संबोधित करता है।
    - संशोधन अस्पष्टता का समाधान करते हुए केवल अधिसूचित और दर्ज वनों के लिये FCA अनुप्रयोग को स्पष्ट करता है।
    - छूट (जो पहले से ही व्यवहार में है) को अब वैधानिक समर्थन प्राप्त है, जो सार्वजनिक उपयोगिताओं, राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं और नागरिक हितों के लिये स्पष्टता प्रदान करता है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन और संरक्षण:**
    - इसका उद्देश्य NDCs और कार्बन तटस्थता की देश की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना, अस्पष्टताओं को समाप्त करना एवं विभिन्न भूमियों के संबंध में अधिनियम की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टता लाना, गैर-वन भूमि में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना आदि है।
- **विकास के प्रावधान:**
    - संशोधन को गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और निजी भूमिमालिकों, संगठनों एवं व्यक्तियों के विरोध (जो तर्क देते हैं कि वन संरक्षण कानून औद्योगिक प्रगति में बाधा डालते हैं) में प्रासंगिक रूप प्रदान किया गया है।
    - यह अधिनियम कुछ वन क्षेत्रों को कानूनी अधिकार क्षेत्र से हटाकर, विविध उपयोगों की अनुमति देकर (रैखिक परियोजनाओं एवं सुरक्षा अवसंरचना सहित) आर्थिक शोषण की सुविधा प्रदान करेगा।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:**
    - अधिनियम कुछ रैखिक अवसंरचना परियोजनाओं (जैसे कि सड़क एवं राजमार्ग) को वन मंज़ूरी की अनुमति लेने से छूट देता है यदि वे राष्ट्रीय सीमा के 100 किमी के भीतर स्थित हैं।
    - इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- प्रतिपूरक वनीकरण:
    - यह संशोधन प्रतिपूरक वनीकरण को बढ़ावा देता है, जहाँ निजी संस्थाओं को वनीकरण या पुनर्वनीकरण परियोजनाएँ शुरू करने की अनुमति दी गई है।
- **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:**
    - यह विधेयक **चिड़ियाघरों** की स्थापना, सफारी और इकोटूरिज्म जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, जिनका स्वामित्व सरकार के पास होगा और इन्हें संरक्षित क्षेत्रों के बाहर अनुमोदित योजनाओं में स्थापित किया जाएगा।
    - ये गतिविधियाँ न केवल वन संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं बल्कि स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका के अवसर भी पैदा करती हैं और उन्हें समग्र विकास के साथ एकीकृत करती हैं।

संशोधन से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?

- **वनों को पुनः परभिाषति करना:**
  - इस अधनियिम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1996 के एक आदेश में परभिाषति वन की पहले से मौजूद परभिाषा से वरिोधाभास पैदा कर दयिा है, जहाँ कहा गया था कि किसी भी सरकारी रकिॉर्ड में वन के रूप में दर्ज वृक्षों की कोई भी पट्टी स्वतः '**डीम्ड फॉरेस्ट**' बन जाएगी।
  - पंजाब स्थति पब्लकि एक्शन कमेटी (PAC) के अनुसार, मौजूदा अधनियिम में इस संशोधन के तहत परभिाषा के संशोधन के कारण भारत के वनों के लगभग 1/5 से 1/4 भाग ने अपनी कानूनी सुरक्षा खो दी है।
- **अवसंरचनात्मक अतक्रिमण:**
  - राष्ट्रीय सुरक्षा परयिोजनाओं के लयि सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भूमि को छूट देने से पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र और वन्य जीवन पर प्रतकिूल प्रभाव पड़ सकता है।
  - चड़ियिाघरों, पर्यावरण-पर्यटन सुवधिाओं एवं टोही सर्वेक्षणों जैसी परयिोजनाओं के लयि पूरण छूट से वन भूमि और वन्य जीवन पर प्रतकिूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **जनजातीय अधकिारों की उपेक्षा:**
  - यह संशोधन गैर-वन उद्देश्यों के लयि वनों में परविर्तन हेतु आदवासी/जनजातीय ग्राम सभा से पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता को हटा देता है।
  - नजिी कंपनयिों को **ईकोटूरज़िम** के लयि वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति जनजातीय समुदायों की आजीवकिा की कीमत पर कॉर्पोरेट हतिों को बढ़ावा दे सकती है।
  - बड़े पैमाने पर पर्यटन के कारण स्थानीय संस्कृतयिों और परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **'टॉप-डाउन ऑथोरटिी':**
  - संशोधनों ने नजिी, लाभ-संचालति कंपनयिों या फर्मों द्वारा संभावति वन दोहन और केंद्र सरकार के हाथों में अधकि शक्ति को समेकति कर राज्य सरकारों की चतिाओं की उपेक्षा करने के बारे में चतिा उत्पन्न की है।
- **मानव-पशु संघर्ष:**
  - यदि वन भूमि पर अवसंरचना वकिास की अनुमति दी गई तो **मानव-पशु संघर्ष** बढ़ जाएगा।
  - यह संशोधन जनजातीय बस्तयिों में बढ़ते मानव-पशु संघर्षों को संबोधति नहीं करता है, जो आजीवकिा और वन्य जीवन दोनों के लयि खतरा पैदा करता है।

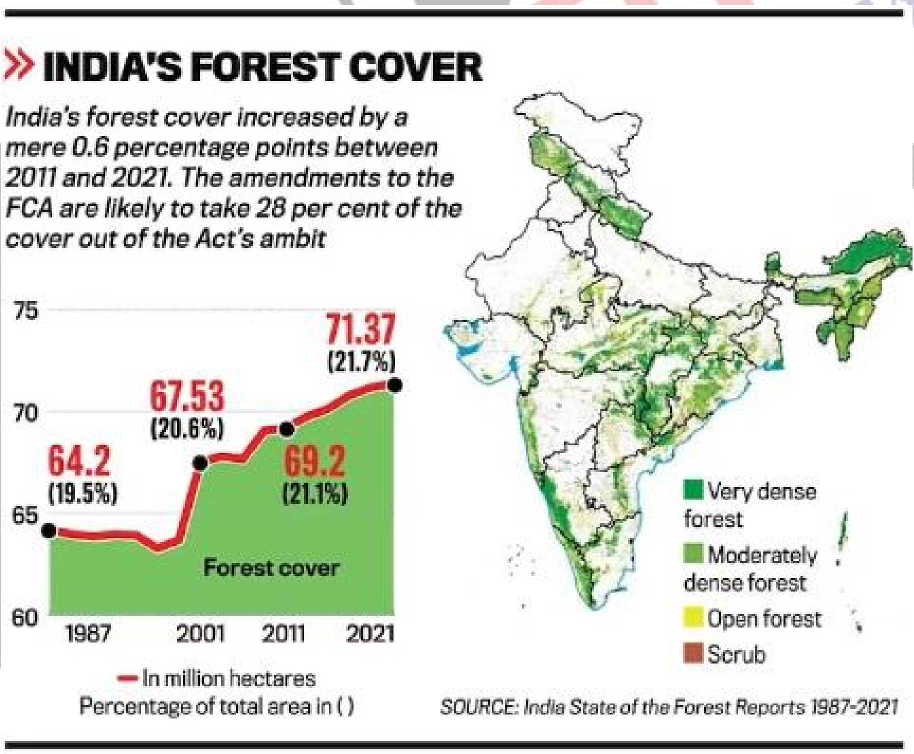

क्या हो आगे की राह?

- **हतिधारक परामर्श:**
  - चतिाओं को संबोधति करने और ववििध दृष्टकिोणों को शामलि करने के लयि पर्यावरण वशिेषज्ञों, जनजातीय समुदायों, स्थानीय हतिधारकों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ व्यापक परामर्श में संलग्न हुआ जाए।
  - नरि्णय लेने में समावेशतिा, स्थानीय भागीदारी और पारदर्शतिा पर बल दयिा जाए।
- **नरि्णय लेने में पारदर्शतिा:**
  - हतिधारकों के बीच भरोसे को बढ़ावा देते हुए वन भूमि उपयोग, छूट और अवसंरचनात्मक परयिोजनाओं से संबंधति नरि्णय लेने की प्रक्रयिा में

पारदर्शति सुनश्चिति करें।

- **आवधकि समीक्षा तंत्र:**
  - वनों, जैव ववधिता एवं स्थानीय समुदायों पर अधनियिम के प्रभाव का आकलन करने और नष्किर्षों के आधार पर आवश्यक समायोजन करने के लयि एक सुदृढ़ आवधकि समीक्षा तंत्र स्थापति करें।
  - फीडबैक और उभरती परस्थितियों के आधार पर अधनियिम में संशोधन पर वचिर करें, ताकि उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति समावेशता एवं प्रतक्रियिा सुनश्चिति हो सके।
- **स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण:**
  - स्थानीय समुदायों, वशिषकर जनजातीय समूहों को नरि्णय लेने की प्रक्रयाओं में शामलि कर, उनके पारंपरकि ज्ञान को पहचानकर और वन संसाधनों से समान लाभ सुनश्चिति कर सशक्त बनाएँ।
  - स्वदेशी समुदायों के अधकिारों की रक्षा के लयि कानूनी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना, वन भूमि से उनके ऐतहिासकि संबंध को स्वीकार करना और संरक्षण प्रयासों में उनकी भागीदारी सुनश्चिति करना।
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA):**
  - प्रस्तावति परयोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का व्यापक आकलन करने के लयि [EIA](EIA) प्रक्रयिा को सुदृढ़ करें, जहाँ पारस्थितिकि क्षति को न्यूनतम करते हुए सतत वकिास सुनश्चिति हो सके।
- **संघर्ष समाधान तंत्र:**
  - अधनियिम से उत्पन्न होने वाले ववादों के समाधान के लयि कुशल संघर्ष समाधान तंत्र स्थापति करना; सभी हतिधारकों को चतिाओं को व्यक्त करने और समाधान की मांग कर सकने के लयि एक उचति मंच प्रदान करना।
  - प्रासंगकि अधकिारयों के लयि क्षमता नरि्माण में नविश करें, अधनियिम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनश्चिति करें, दशिनरि्देशों का पालन करें और सक्षम नरि्णय लें।
- **वैज्ञानकि अनुसंधान और नगिरानी:**
  - सूचति नीति समायोजन के लयि डेटा-संचालति अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए वन पारस्थितिकी तंत्र, जैव ववधिता और जलवायु लक्ष्यों पर अधनियिम के प्रभाव की नगिरानी के लयि वैज्ञानकि अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  - अनुकूली प्रबंधन रणनीतयाँ वकिसति करें जो अप्रत्याशति चुनौतयों और उभरती पर्यावरणीय परस्थितियों का जवाब दे सकने में लचीलापन प्रदान करें।

नष्किर्ष

राष्ट्रीय वकिास का मार्ग एक सामूहकि अभयिान होना चाहयि, जो पर्यावरणीय संवहनीयता के प्रति ऐसी प्रतबिद्धता से चहि्नति हो जो प्रगति की दशिा में लगातार मार्गदर्शन करता हो। वन संरक्षण अधनियिम इस जटलि संतुलन को कायम करने की क्षमता के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है, जो एक ऐसे भवषिय का मार्ग प्रशस्त करता है जहाँ एक समृद्ध राष्ट्र एक संपन्न पर्यावरण के साथ सहज रूप से सह-अस्तत्वि में रह सकता है।

अभ्यास प्रश्न: वन (संरक्षण) संशोधन अधनियिम, 2023 से जुड़े लाभों एवं प्रमुख चुनौतयों की चर्चा कीजयि। यह संशोधन एक ऐसे क्रम के संचालन में कसि प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिा सकता है जहाँ वकिास और पर्यावरणीय संवहनीयता राष्ट्रीय प्रगति की दशिा में एक-दूसरे का सक्रयि रूप से समर्थन कर सकती हैं?

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नम्नलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2019)

1. भारतीय वन अधनियिम, 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार, वन नवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बाँस को काट गरिाने का अधकिार है।
2. अनुसूचति जनजाति एवं अन्य पारंपरकि वनवासी (वन अधकिारों की मान्यता) अधनियिम, 2006 के अनुसार, बाँस एक गौण वनोपज है।
3. अनुसूचति जनजाति एवं अन्य पारंपरकि वनवासी (वन अधकिारों की मान्यता) अधनियिम, 2006, वन नवासियों को गौण वनोपज के स्वामत्वि की अनुमति देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

?????

“वभिन्नि प्रतयोगी क्षेत्रों और साझेदारों के मध्य नीतगित वरिोधाभासों के परणािमस्वरूप पर्यावरण के ‘संरक्षण तथा उसके नम्नीकरण की रोकथाम’ अपर्याप्त रही है।” सुसंगत उदाहरणों सहति टप्पिणी कीजयि।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/community-rights-and-forest-conservation